रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2000.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार 19 दिसम्बर, 2000/28 अग्रहायण, 1922

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-171 009, 18 दिसम्बर, 2000

संख्या पी० सी० एच० एच० ए०(1)12/2000.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 4) की धारा 186 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार की अधिसूचना संख्या पी० सी० एच०-एच० ए०(3) 6/94 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, असाधारण, तारीख 8 फरवरी, 1995 में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं और इन्हें इनसे सम्भाव्य, प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सूचना के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में एतद् द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है ;

3043-राजपत्र/2000-19-12-2000—1,409. मूल्य : 1 रुपया।

कोई हितबद्ध व्यक्ति, जो प्रस्तावित संशोधन की बाबत कोई आक्षेप/सुझाव देना चाहे तो वह उस/उन्हें विशेष सचिव (पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश सरकार, एस0 डी0 ए0 कम्पलेक्स, कसुम्पटी, शिमला 171 009 को, प्रस्तावित संशोधनों के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से सात दिन के भीतर, भेज सकेगा ;

उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेप (आक्षेपों) या सुझाव (सुझावों), यदि कोई हो, पर इन नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थात :—

प्रारूप नियम

संक्षिप्त नाम.—1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधन नियम, 2000 है ।

नियम 85 का संशोधन.2.— हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा जाएगा),—

(क) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के उप-नियम (1) में "और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) उप-नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम (1-क) जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(1-क) सम्बन्धित उपायुक्त या उस द्वारा, विकास खण्ड अधिकारी के सिवाय, प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, यथाशक्य सम्भव परन्तु उप-नियम (1) के अधीन शपथ या राज्य निष्ठा का प्रतिज्ञान दिलाए जाने या किए जाने के सात दिनों के अपश्चात्, अपनी अध्यक्षता में सभी निर्वाचित सदस्यों की, उनमें से किसी एक को पंचायत समिति के अध्यक्ष और दूसरे किसी को उपाध्यक्ष चुनने के लिए एक बैठक बुलाएगा :

परन्तु यह कि राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस उप-नियम के अधीन पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचन के परिणाम की घोषणा से एक सप्ताह क पश्चात् परन्तु एक महीने के अपश्चात् अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों के अधीन बैठक करने की अनुमति प्रदान कर सकेगी :—

(i) यदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण सात दिनों के भीतर बैठक बुलाई जानी सम्भव नहीं है ;

(ii) यदि विधि और व्यवस्था की गम्भीर समस्या के कारण सात दिनों के भीतर बैठक बुलाना सम्भव या वांछनीय नहीं है; और

(iii) यदि विद्यमान पंचायतों की कालावधि के अवसान से 15 दिनों से अधिक अवधि से पूर्व निर्वाचन परिणाम घोषित कर दिए गए हैं।" ; और

(ग) उप-नियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा ; अर्थात् :—

"(5) उप-नियम (1) के अधीन शपथ या राज्य निष्ठा के प्रतिज्ञान के प्रयोजनों के लिए बुलाई गई बठक के लिए कोई गणपूर्ती अपेक्षित नहीं होगी । उप-नियम (1-क)

के अधीन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के प्रयोजनों हेतु बैठकों के लिए गणपूर्ती कुल निर्वाचित सदस्यों के दो-तिहाई से होगी :

परन्तु यह कि यदि इस नियम के अधीन बुलाई गई प्रथम बैठक में गणपूर्ती के अभाव में, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन नहीं होता है, तो प्रथम बैठक की तारीख से दस दिन के भीतर द्वितीय बैठक बुलाई जा सकेगी और यदि फिर भी गणपूर्ती पूरी न होने पर द्वितीय बैठक भी स्थगित हो जाती है, तो तृतीय बैठक, द्वितीय बैठक की तारीख से दस दिन के भीतर बुलाई जा सकेगी । यदि तृतीय बैठक भी गणपूर्ती के अभाव में स्थगित हो जाती है, तो तृतीय बैठक के दस दिन के भीतर चतुर्थ बैठक बुलाई जा सकेगी और अधिनियम की धारा 131 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन साथ-साथ कार्रवाई की जाएगी । चतुर्थ बैठक के लिए गणपूर्ती कुल निर्वाचित सदस्यों के आधे से होगी ।" ।

नियम 86 का संशोधन.— 3. उक्त नियमों के नियम 86 में,—

(क) उप-नियम (1) में, "और जिला परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उप-नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम (1-क) जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(1-क) सम्बन्धित उपायुक्त यथाशक्य सम्भव परन्तु उप-नियम (1) के अधीन शपथ या राज्य निष्ठा का प्रतिज्ञान दिलाए जाने या किए जाने के सात दिनों के अपश्चात् अपनी अध्यक्षता में, सभी निर्वाचित सदस्यों की, उन में से किसी एक को जिला परिषद् का अध्यक्ष और दूसरे किसी को उपाध्यक्ष चुनने के लिए एक बैठक बुलाएगा :

परन्तु यह कि राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस उप-नियम के अधीन जिला परिषद् के निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचन के परिणीम की घोषणा से एक सप्ताह के पश्चात् परन्तु एक महीने के अपश्चात् अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों के अधीन बैठक करने की अनुमति प्रदान कर सकेगी ।

(i) यदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण सात दिनों के भीतर बैठक बुलाई जानी सम्भव नहीं है ;

(ii) यदि विधि और व्यवस्था की गम्भीर समस्याओं के कारण सात दिनों के भीतर बैठक बुलाना सम्भव या वांछनीय नहीं है ; और

(iii) यदि विद्यमान पंचायतों की कालावधि के अवसान से 15 दिनों से अधिक अवधि से पूर्व निर्वाचन परिणाम घोषित कर दिए गए हैं ।"; और

(ग) उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा ; अर्थात्:—

"उप-नियम (1) के अधीन शपथ या राज्य निष्ठा के प्रतिज्ञान के प्रयोजनों के लिए बुलाई गई बैठक के लिए कोई गणपूर्ती अपेक्षित नहीं होगी । उप-नियम (1-क) के अधीन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के प्रयोजनों हेतु बैठकों के लिए गणपूर्ती कुल निर्वाचित सदस्यों के दो-तिहाई से होगी :

परन्तु यह कि यदि इस नियम के अधीन बुलाई गई प्रथम बैठक में गणपूर्ती के अभाव में, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन नहीं होता है, तो प्रथम बैठक की तारीख से दस दिन के भीतर द्वितीय बैठक बुलाई जा सकेगी और यदि फिर भी गणपूर्ती पुरी न होने पर द्वितीय बैठक भी स्थगित हो जाती है, तो तृतीय बैठक, द्वितीय बैठक की तारीख से दस दिन के भीतर बुलाई जा सकेगी। यदि तृतीय बैठक भी गणपूर्ती पूरी न होने पर स्थगित हो जाती है, तो तृतीय बैठक से दस दिन के भीतर चतुर्थ बैठक बुलाई जा सकेगी और अधिनियम की धारा 131 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन साथ-साथ कारवाई की जाएगी। चतुथ बैठक के लिए गणपूर्ती कुल निर्वाचित सदस्यों के आध से होगी।"।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/
आयुक्त एवं सचिव।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित